टिप्पणी

8

कानून (विधि) की प्रविधियां (तकनीक) एवं निवारण (प्रतिकार)-II

आपराधिक कानून, **'अपराध' ('Actus Reus')** एवं **'आपराधिक आशय' ('Mens Rea')** के सिद्धान्त पर आधारित है। पिछले अध्याय में हम अब तक दंड के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे कि प्रतिकार (बदला), जिसका उद्देश्य है अपराधी को समाज की नजर में समान हानि (क्षति) का दण्ड देना। निर्वासन, जिसका उद्देश्य है- अपराधी को समाज की परिधि से बाहर कर देना, पुनर्वास, जिसका उद्देश्य है- अपराधी को समाज में पुन: शामिल होने में (प्रवेश करने में) सहायता करना।

यह पाठ 'कानून' की उन नई उभरती हुई तकनीकों का परिचय भी कराएगा जिनको भारतीय लोग भ्रष्टाचार और कुप्रशासन पर अंकुश लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। भारत सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को पारित किया है जिसके अन्तर्गत नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। इस सूचना के अधिकार के अधिनियम में दो अध्याय, इकतीस खंड एवं दो अनुसूचि हैं।

उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप :

- आपराधिक कानून के सामान्य एवं मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे;
- भारतीय दंड संहिता (IPC) में वर्णित सामान्य बचावों (प्रतिरक्षा) के बारे में जान सकेंगे;
- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (फरवरी, 2011 तक संशोधित) के मुख्य प्रावधानों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे; एवं
- नागरिकों द्वारा सूचना पाने की प्रक्रिया को समझने में सक्षम होंगे।

8.1 आपराधिक कानून - अपराध एवं आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत

'अपराध'

'अपराध' क्या है?

इससे पहले कि हम आपराधिक कानून की बात करें, इस प्रश्न पर विचार होना चाहिए कि अपराध क्या है? अपराध वह कार्य या कृत्य है, जो इसे निषेध करने वाले या नियंत्रण करने वाले, किसी कानून की अवज्ञा (अवहेलना) करता है।

लेकिन, प्रत्येक कानून की अवज्ञा अपराध नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, नागरिक कानूनों, विरासत सम्बन्धी कानूनों या अनुबंध के कानूनों की अवज्ञा। इसलिए, 'अपराध' का आशय है कानून की सिर्फ अवज्ञा से कुछ अधिक। 'अपराध' का अर्थ है, एक ऐसा कृत्य, जिसका कानून में निषेध हो और जो समाज की नैतिक भावनाओं के खिलाफ विद्रोह करता हो। इस प्रकार, डकैती या मर्डर (हत्या) एक 'अपराध' है, क्योंकि यह समाज की नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध है, लेकिन राजस्व (कर) कानूनों या अनुबंध कानूनों की अवज्ञा को अपराध की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

लेकिन, पुनः किसी समाज की नैतिक भावनाएं, एक लचीला शब्द है, क्योंकि समाज की नैतिक भावनाएं (भाव), समय के साथ समाज की बदलती आवश्यकताओं एवं लोकमत (जनता की राय), बदलने के साथ बदलती रहती हैं।

इस प्रकार आपराधिक कानून निम्नलिखित समीकरण पर केंद्रित होता है :

आपराधिक कानून के सिद्धांत :

अपराध = 'दुराचार' (Actus Reus) + आपराधिक आशय (Mens Rea) (दोनों का एक साथ होना)

इस प्रकार, ऊपर दिए गए समीकरण से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः अपराध, 'दुराचार' और 'आपराधिक आशय' दोनों में से किसी एक अकेले के मात्र से नहीं हो सकता।

आपराधिक दायित्व का सामान्य मानक कानून, जो कि सामान्यतः लैटिन मुहावरे के द्वारा व्यक्त किया जाता है, का एक सिद्धांत के रूप में उद्धरण सी.जे. लॉर्ड केन्यन के द्वारा **'फाउलर बनाम पेजर (Fowler V. Pedges)'** में इस प्रकार किया गया है : **'It is a principle of natural justice and of our law that actes non ficit reum nisi mens sit rea.'**

जिसका अर्थ है, ''एक कृत्य किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराता, जब तक उसका मस्तिष्क (दिमाग) भी दोषी न हो।

इस प्रकार, न्यायालय में (न्यायिक प्रक्रिया में) में किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए 'Actus Reus' के साथ-साथ 'Mens Rea' के तत्व भी मौजूद होने चाहिए।

इन सिद्धांतों का हम एक-एक करके अध्ययन करेंगे :

एक्टस रीयस (Actus Reus)

Actus Reus : यह एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है दोषपूर्ण कार्य (दुराचार), यह एक कृत्य भी हो सकता है और भूल भी। यह शब्द रसेल ने दिया था, जिसका अर्थ है भौतिक घटना। Actus Reus की अनिवार्यता है कि कृत्य अवश्य ही स्वैच्छिक होना चाहिए।

नींद में चलते हुए किए गए कार्य, मिर्गी (अपस्मार) आदि इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, सिवाय इसके कि इस तरह की परिस्थितियां उस व्यक्ति द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की गई हों, जो अभियुक्त को जानता हो।

हालांकि कुछ मामलों में कानून सजा देता है, तब भी जब 'Actus Reus' न हुआ हो। इसे हम 'प्रयास' (Attempt) या 'साजिश' या कुछ मामलों में 'तैयारी' के नाम से जानते हैं। इस विषय में हमने पहले विस्तार से चर्चा की है।

उदाहरण के लिए, मोहन यदि सोहन को तालाब में धकेल देता है तो यह 'Actus Reus' है, जबकि यदि मोहन और सोहन तालाब के निकट टहल रहे हैं, मोहन फिसल जाता है और धक्का लगने के कारण सोहन तालाब में गिर जाता है तो यह 'Actus Reus' नहीं है।

Mens Rea (मेन्स रीया) : यह एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है, दोषी मस्तिष्क (दिमाग) जो कि आपराधिक कानून का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। कोई भी फैसला लेते समय यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो कृत्य था, वह सुविचारित था या अनजाने में किया गया था। इस प्रकार फैसले पर पहुंचने के लिए मानसिक अवस्था का निर्धारण अत्यंत आवश्यक है। 'Mens Rea' की अवधारणा का विकास सामान्य कानून काल के उत्तरार्द्ध में (ईसवी सन 1600 वर्ष के आसपास) इंग्लैंड में हुआ था, जब न्यायाधीशों ने यह फैसला दिया कि सिर्फ कोई कृत्य अकेले अपराध नहीं माना जा सकता, जब तक कि मस्तिष्क में इस कृत्य को करने की मंशा न हो। उदाहरण के लिए, हत्या के लिए एक मस्तिष्क की विद्वेषपूर्ण अवस्था आवश्यक है, जबकि चोरी के लिए मस्तिष्क की अपराधी अवस्था आवश्यक है।

पाठगत प्रश्न 8.1

1. आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांतों के आधार की व्याख्या करें?

2. 'अपराध' के लिए आवश्यक परिस्थितियों का संक्षेप में वर्णन करें?

3. 'Actus Reus' एवं 'Mens Rea' शब्दों का अर्थ स्पष्ट करें?

8.2 आपराधिक कानून में सामान्य प्रतिरक्षा (बचाव)

आपराधिक कानून में दोषी के लिए कई बचाव उपलब्ध हैं। ये निम्नलिखित हैं –

पागलपन या मानसिक विकार : अपराध के प्रभाव को कम करने के लिए अपराधी (दोषी) के द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला यह सामान्य बचाव है। यहां दोषी को मानसिक विकार से ग्रसित घोषित कर दिया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि दोषी कोई भी बुद्धिमतापूर्ण निर्णय नहीं कर सकता और सही तथा गलत में फर्क नहीं कर सकता।

स्वचलता : इसका अर्थ है कि अवश्य ही ऐसी स्थिति पैदा हुई हो, जब दोषी का स्वयं पर कोई नियंत्रण न रहा हो। इसमें बहुत अधिक समय तक ड्राइविंग के कारण हुए आंशिक चेतना ह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार, यह वह अवस्था है, जब हमारे शरीर की मांसपेशियां हमारे मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती या फिर चेतना चली जाती है।

उदाहरण के लिए – 'X' ने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक सुनी, मूर्च्छित हो गया।

नशा : यह वह अवस्था है, जब दोषी व्यक्ति ने कोई ड्रग या नशीला पदार्थ इत्यादि का सेवन किया हो और उसके परिणामस्वरूप अपनी मानसिक शक्तियों पर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया हो। इस प्रकार, नशे में दिखाकर बचाव का मुख्य केंद्र बिंदु यह होता है कि दोषी द्वारा अपराध करने का कोई मानसिक आशय (Mens Rea) नहीं था।

उदाहरण – मोहन एक अपराध से बचाव की मांग करता है, क्योंकि उस अपराध को करते समय उसने किसी नशीले पदार्थ का अत्यधिक मात्रा में सेवन किया था।

तथ्यों की भूल : यह एक वास्तविक कारण हो सकता है एवं कानून द्वारा स्वीकृत है। आपराधिक कानून में दोषी द्वारा अपने बचाव में दी जाने वाली यह एक अन्य दलील है। इसमें अपराधी यह कहते हुए अपना बचाव करता है कि उससे भूल हो गई। उदाहरण के लिए, किसी पुलिस अधिकारी पर हमला इस वास्तविक (और शायद तर्कसंगत) तथ्य की भूल द्वारा नकारा जा सकता है कि जिस पर हमला हुआ, वह एक अपराधी था न कि एक पुलिस अधिकारी।

आवश्यकता/ कम नुकसान : इसका अर्थ है कि एक आपराधिक कृत्य इस बात को उजागर करते हुए सही ठहराया जा सकता है कि यह एक बड़े नुकसान को रोकने के लिए किया गया, जो कि हो सकता था अगर यह न किया जाता।

उदाहरण के लिए- 'अ' यह दावा करता है कि उसने 'ब' को गंभीर रूप से घायल किया है, क्योंकि 'ब' एक अतिक्रामक है और वह 'ए' की संपत्ति को आग लगाने जा रहा था।

पद की वैध क्षमता (शक्ति) एवं/ या कानूनी धर्म (ड्यूटी) : बचाव के लिए यह दलील लोकसेवकों द्वारा अपने कृत्यों को ढंकने और अपनी सत्ता द्वारा उन कृत्यों को उचित ठहराने के लिए दी जाती है।

उदाहरण के लिए – एक चिकित्सा-सहायक द्वारा किसी आपातकालीन कॉल का उत्तर देने के लिए किसी घर या इमारत में बलपूर्वक घुसना अपराध नहीं माना जा सकता। उसी प्रकार, एक

सिपाही द्वारा किसी व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार करना कि उसके पास एक बन्दूक (आग्नेयास्त्र) थी एवं पुलिसवाले को यह भय था कि वह किसी निर्दोष व्यक्ति या व्यक्तियों को नुकसान पहुंचा सकता था, दोष नहीं माना जाएगा।

आत्मरक्षा : यह वह कृत्य है, जब कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया में कोई कार्रवाई करता है और इस प्रक्रिया में प्रतिवादी घायल हो जाता है। दोषी व्यक्ति इस अवस्था में बचाव के लिए आत्मरक्षा की दलील दे सकता है।

उदाहरण के लिए – 'ए' यह दावा करता है कि 'ब' उसे जान से मारना चाहता था। बचाव में 'ब' यह दावा करता है कि उसने जो किया वह आत्मरक्षा में किया। 'ब' कहता है कि 'ए' एक चोर है एवं वह बलात् उसके घर में घुसा है और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए 'ब' ने उस पर आक्रमण किया। 'ब' द्वारा इस आत्मरक्षा के कृत्य में 'ए' को अपना एक अंग गंवाना पड़ा।

भारतीय दंड संहिता के अनुसार, दोषी इस बात का तर्क दे सकता है कि उसने उचित कारणों से कथित अपराध किया और ये कारण समाज में नैतिक रूप से स्वीकार्य और उचित हैं और उसने समाज के नैतिक मूल्यों (सिद्धांतों) के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है।

1. वैधानिक माफी (जिसमें कि अपराध शामिल नहीं है) : न्यायोचित (तर्कसंगत) प्रतिवाद (प्रतिरक्षा) एवं आपातकाल (आपात स्थिति) में खतरे से बचाव।
2. राहत के लिए कानूनी रूप से निर्धारित बचाव के उपाय।

भारतीय दंड संहिता (IPC) के चतुर्थ अध्याय में वर्णित प्रतिवादों की सूची:

भारतीय दंड संहिता (IPC) के चतुर्थ अध्याय में वर्णित प्रतिवादों की सूची को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है :

- न्यायिक विधियां (न्यायोचित कृत्य)
- तथ्य की भूल
- दुर्घटना
- आपराधिक आशय की अनुपस्थिति
- सहमति
- तुच्छ-कृत्य

व्यक्तिगत रक्षा (आत्मरक्षा)

इनको आगे निम्नलिखित रूप से वर्णित किया जा सकता है:

भारतीय दंड संहिता (IPC) के अध्याय-IV में वर्णित प्रतिरक्षा (बचावों) की सूची :

1. किसी व्यक्ति का वह कृत्य, जिसे करने के लिए वह कानून द्वारा बाध्य हो;
2. किसी न्यायाधीश का न्यायोचित कृत्य;
3. किसी न्यायालय के फैसले या आदेश के अनुसार किया गया कार्य;

4. किसी व्यक्ति का वह कृत्य, जो कानून द्वारा न्यायसंगत (उचित) हो;
5. किसी दुर्घटना के कारण हुआ कृत्य;
6. बिना किसी आपराधिक आशय के होने या हो सकने वाले कृत्य, जो किसी अन्य नुकसान को रोकने के लिए हों;
7. किसी बच्चे का कृत्य, जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम हो;
8. किसी बच्चे का कृत्य, जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक, लेकिन 12 वर्ष से कम हो, लेकिन उसकी समझ अपरिपक्व (अविकसित) हो;
9. किसी व्यक्ति का कृत्य, जिसका मस्तिष्क अस्वस्थ हो;
10. किसी व्यक्ति का कृत्य, जो नशे में हो, (आंशिक रूप से मुक्त);
11. किसी पीड़ित व्यक्ति की सहमति से किया गया कार्य, जिससे पीड़ित को जान का खतरा या गंभीर क्षति का खतरा न हो;
12. किसी पीड़ित व्यक्ति की सहमति से किया गया कार्य, जिसका इरादा जान से मारना न हो;
13. किसी बच्चे या किसी विक्षिप्त व्यक्ति के हित के लिए उसके अभिभावक द्वारा या अभिभावक की सहमति से (अच्छे) विश्वास में किया गया कार्य;
14. किसी व्यक्ति के हित में उसकी सहमति के बिना (अच्छे) विश्वास में किया गया कार्य;
15. किसी व्यक्ति के हित के लिए (अच्छे) विश्वास में उससे किया गया संप्रेषण (सम्पर्क);
16. मृत्यु के भय के कारण किया गया कार्य;
17. आंशिक हानि पहुंचाने वाला कार्य; एवं
18. आत्मरक्षा में किया गया कार्य

पाठगत प्रश्न 8.2

1. आपराधिक कानून में वर्णित 'बचावों' का उल्लेख करें।
2. भारतीय दंड संहिता (IPC) के चतुर्थ अध्याय में वर्णित 'बचावों' का उल्लेख करें।

8.3 सूचना का अधिकार

सूचना के अधिकार की मांग पहले से कहीं अधिक हो रही थी। इसके कारण थे बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार एवं कार्यों में अवांछित विलंब। बड़े पैमाने पर जनता मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से भी त्रस्त थी। इन सब पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2005 में भारत सरकार ने **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम** को अधिनियमित किया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 इस बात का अधिदेश देता है कि नागरिकों के सरकारी सूचनाओं से संबंधित आवेदनों का समय से जवाब दिया जाए।

यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा की गई एक पहल है कि ये नागरिकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (PIOs) आदि से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक 'RTI' पोर्टल गेटवे' मुहैया कराएंगे। इसके अलावा वे भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सूचना के अधिकार से संबंधित सूचनाएं एवं प्रकाशनों तक जनता की पहुंच स्थापित कराएंगे। आर.टी.आई. (RTI) का उद्देश्य है नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराना। यह अधिनियम फरवरी, 2011 तक संशोधित (अपडेटेड) है।

अधिनियम

इस अधिनियम में छह अध्याय एवं कुल 31 खंड तथा दो अनुसूचियां हैं।

प्रथम अध्याय : अधिनियम के प्रारंभिक पहलुओं जैसे- परिभाषाएं, शीर्षक एवं आरंभ की व्याख्या करता है।

द्वितीय अध्याय : सूचना के अधिकार एवं लोक अधिकारियों के दायित्वों की व्याख्या करता है। इस अध्याय के अंतर्गत निम्नलिखित खंड (अनुच्छेद) हैं-

सूचना का अधिकार, लोक सेवकों के दायित्व, लोकसेवकों के पद, सूचना पाने के लिए आवेदन, आवेदनों का निष्पादन, छूट, आवेदनों की अस्वीकृति क आधार, विच्छेदनीयता एवं तीसरे पक्ष की जानकारी।

तीसरा अध्याय : केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में व्याख्या करता है। इस अध्याय के अंतर्गत खंड हैं-

केंद्रीय सूचना आयोग का संविधान, पदों की अवधि, सेवा की शर्तें एवं CIC की बर्खास्तगी।

चौथा अध्याय : राज्य सूचना आयोग, जो कि राज्य स्तर पर काम करता है, की व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत भी उसी प्रकार के खंड (अनुच्छेद) है, जिस प्रकार तीसरे अध्याय में हैं, लेकिन राज्य स्तर पर।

पांचवां अध्याय : सी.आई.सी. (CIC) की विभिन्न शक्तियों एवं कार्यों की राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त दंड एवं अपील भी इस अध्याय में समाहित हैं।

छठा एवं अंतिम अध्याय : इस अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के बारे में है। यह अधिनियम का सबसे लंबा अध्याय है, जिसमें 11 खंड हैं। ये हैं-

कार्रवाई की वास्तविक सुरक्षा, अधिभावी प्रभाव, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र, कुछ विशेष संस्थाओं पर अधिनियम का लागू न होना, निगरानी एवं रिपोर्टिंग, कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए उचित सरकार, उचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्तियां, सक्षम प्राधिकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति, नियमों की अनदेखी, कठिनाइयों और खंडन को हटाने की शक्ति।

दिशा-निर्देश

सूचना चाहने वाले के काम और इस प्रक्रिया में उनके प्रयासों को आसान करने के लिए भारत सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश सरकारी सार्वजनिक दस्तावेज- 'सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्र सरकार के लोक प्राधिकारियों से सूचना कैसे प्राप्त करें' में समाविष्ट हैं।

इस दस्तावेज में 17 अध्याय हैं, जिनमें इस बात का वर्णन है कि सूचना चाहने वाले के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को आसान कैसे बनाया जाए।

ये विषय मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं-

1. प्रेषण
2. सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य
3. सूचना क्या है?
4. अधिनियम के तहत सूचना का अधिकार
5. प्रकटीकरण से छूट
6. केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CPIOs)
7. CPIOs से उपलब्ध सहायता
8. स्वप्रेरणा प्रकटीकरण
9. सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया
10. सूचना प्राप्त करने का शुल्क (फीस)
11. आवेदन का प्रारूप
12. आवेदन का निस्पादन (निपटान)
13. प्रथम अपील (निवेदन)
14. द्वितीय अपील
15. शिकायतें
16. CIC द्वारा अपीलों एवं शिकायतों का निपटान
17. महत्वपूर्ण बेवसाइट

पाठगत प्रश्न 8.3

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियमित होने के कारणों का उल्लेख करें।
2. सूचना चाहने वालों के लिए महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज का नाम बताएं।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 को पारित करने के मुख्य उद्देश्य बताएं।
4. **रिक्त स्थानों की पूर्ति करें :**

   (क) सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में ..... अध्याय, ... खंड एवं ..... अनुसूचियां हैं।

   (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ..... तक अपडेटेड या संशोधित है।

आपने क्या सीखा

- आपराधिक कानून 'दुराचार' या 'अपराध' एवं 'आपराधिक आशय' के सिद्धांत पर आधारित है। किसी प्रतिवादी को दोषी ठहराने के लिए 'दुराचार' या 'अपराध' के साथ-साथ 'आपराधिक आशय' भी होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी प्रतिवादी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता, जब तक अपराध करने की उसकी मंशा न रही हो, अर्थात् उसका मस्तिष्क भी दोषी होना चाहिए।
- दोषी के लिए कई बचाव उपलब्ध हैं। ये हैं-

  पागलपन या मानसिक विकार, स्वचालन, नशा, तथ्यों की भूल, आवश्यकता/ कम नुकसान, पद की वैध क्षमता एवं या कानूनी ड्यूटी तथा आत्मरक्षा।

  इन बचावों के अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता (IPC) के चौथे अध्याय में 18 अन्य बचाव वर्णित हैं।
- सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम को लाने का मुख्य कारण था, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं में लगातार बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार तथा सरकारी कार्यों में अवांछित एवं अनावश्यक विलंब। साथ-ही-साथ, सरकारी संस्थाओं के कार्यों में अधिक-से-अधिक पारदर्शिता लाना इस अधिनियम का उद्देश्य था।
- इस अधिनियम में छह अध्याय, इकतीस खंड एवं दो अनुसूचिया हैं। यह अधिनियम फरवरी, 2011 तक संशोधित (अपडेटेड) है।

पाठांत प्रश्न

1. 'एक्टस रीयस' (Actus Reus) का शाब्दिक अर्थ क्या है?
2. 'मेन्स रीया' (Mens Rea) का शाब्दिक अर्थ क्या है?

3. आर.टी.आई. (RTI) का पूर्ण रूप (फुल फॉर्म) क्या है?
4. किसी 'अपराध' के साबित होने के लिए क्या आवश्यक है?
5. 'एक्टस रीयस' (Actus Reus) शब्द को परिभाषित करें।
6. 'मेन्स रीया' (Mens Rea) शब्द को परिभाषित करें।
7. आपराधिक कानून के अनुसार 'अपराध' को परिभाषित करें।
8. किसी अपराधी के लिए आपराधिक कानून में उपलब्ध सामान्य बचावों का उल्लेख करें।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

8.1

1. आपराधिक कानून का सामान्य सिद्धांत 'एक्टस रीयस' (Actus Reus) एवं 'मेन्य रीया' (Mens Rea) पर आधारित है।
2. अपराध के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित समीकरण पर आधारित हैं :

   अपराध = एक्टस रीयस + मेन्स रीया (एक साथ होते हुए)
3. एक्टस रीयस + मेन्स रीया का अर्थ है कि कोई एक कृत्य अपराध होने के लिए अकेले उत्तरदायी नहीं हो सकता, जब तक कि 'अपराध' के साथ-साथ मस्तिष्क भी उसके लिए उत्तरदायी न हो अर्थात् आपराधिक कृत्य के साथ-साथ अपराध करने की मंशा भी होनी चाहिए।

8.2

1. आपराधिक कानून में 'बचाव' का अर्थ है, प्रतिवादी के लिए उपलब्ध निवारण, जिसका तर्क देकर वह अपने को उस अपराध से निर्दोष घोषित कराना चाहता है, जिसका आरोप उस पर लगाया गया है। इसलिए ये बचाव प्रतिवादी द्वारा मामले सुनवाई के दौरान दी गई दलीलें हैं, जिनके द्वारा वह स्वयं को उस अपराध से निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, जो उस पर प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए हैं।
2. किसी प्रतिवादी को उपलब्ध निम्नलिखित बचाव हैं, जिससे वह स्वयं को निर्दोष साबित कर सकता है :

   ये बचाव दो अनुसूचियों में दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं :

   (क) भारतीय दंड संहिता (IPC) के चतुर्थ अध्याय में वर्णित बचाव :

   1. किसी व्यक्ति का वह कृत्य, जिसे करने के लिए वह कानून द्वारा बाध्य हो
   2. किसी न्यायाधीश का न्यायोचित कृत्य

3. किसी न्यायालय के फैसले या आदेश के अनुसार किया गया कार्य
4. किसी व्यक्ति का वह कृत्य, जो कानून के तहत न्यायसंगत हो।
5. किसी दुर्घटनावश हुआ कृत्य
6. बिना किसी आपराधिक आशय के होने या हो सकने वाले कृत्य, जो किसी अन्य नुकसान को रोकने के लिए हों।
7. किसी बच्चे का कृत्य, जिसकी उम्र 7 वर्ष से कम हो।
8. किसी बच्चे का कृत्य, जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक, लेकिन 12 वर्ष से कम हो, लेकिन उसकी समझ अपरिपक्व हो
9. किसी अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति का कृत्य,
10. किसी व्यक्ति द्वारा नशे में किया गया कार्य
11. किसी पीड़ित व्यक्ति की सहमति से किया गया कार्य, जिससे पीड़ित को जान का खतरा या गंभीर क्षति का खतरा न हो।
12. किसी पीड़ित व्यक्ति की सहमति से किया गया कार्य, जिसका इरादा जान से मारना न हो
13. किसी बच्चे या किसी विक्षिप्त व्यक्ति के हित के लिए उसके अभिभावक द्वारा या अभिभावक की सहमति से अच्छे विश्वास में किया गया कार्य
14. किसी व्यक्ति के हित में उसकी सहमति के बिना अच्छे विश्वास में किया गया कार्य
15. किसी व्यक्ति के हित के लिए अच्छे विश्वास में उससे किया गया संपर्क (संप्रेषण)
16. मृत्यु के भय के कारण किया गया कार्य
17. आंशिक हानि पहुंचाने वाला कार्य
18. आत्मरक्षा में किया गया कार्य

(ख) भारतीय दंड संहिता (IPC) के चतुर्थ अध्याय में वर्णित बचावों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है :

1. न्यायोचित कार्य
2. तथ्य की भूल
3. दुर्घटना
4. आपराधिक आशय की अनुपस्थिति
5. सहमति

6. तुच्छ कृत्य
7. आत्मरक्षा

8.3

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने के मुख्य कारण थे -
   (क) लगातार बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार
   (ख) सरकारी कामकाज में अवांछित एवं अनावश्यक विलंब तथा
   (ग) पारदर्शिता का अभाव
2. केंद्र सरकार के लोक प्राधिकारियों से सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना।
3. सूचना का प्राधिकार, अधिनियम 2005 का उद्देश्य है, नागरिकों तक सूचना पहुंचाना।
4. (क) छह अध्याय, इकतीस खंड एवं दो अनुसूचियां।
   (ख) फरवरी, 2011